## <u>न्यायालय:- पंकाज क्रुमा२, द्वितीय व्यवहा२ न्यायाधीश वर्ग-१ बैंतूल</u> <u>जिला-बैंतूल (म.प्.)</u>

<u>व्यवहार वाद क्रमांक—59 ए/2017</u>

<u>संस्थित दिनांक—15/03/2017</u>

<u>फाईलिंग नंबर 265/2017</u>

नागोराव पिता स्व. उमराव डोंगरे उम्र 72 वर्ष, निवासी ग्राम दभेरी तहसील जिला बैतूल म.प्र., हाल मु. भगतसिंह वार्ड सदर बैतूल तह. जिला— बैतूल (म0प्र0)

.....<u>वादी</u>

## विरूद्ध

1{एक}.रमेश पिता स्व. उमराव डोंगरे उम्र 60 वर्ष, जाति मेहरा नि. ग्राम सेलगांव तह. जिला बैतूल। 2{दो} म.प्र.शासन,

द्वारा-श्रीमान कलेक्टर बैतूल म.प्र.

- इमरती बाई जौजे मुन्नीलाल झरबडे उम्र 56 वर्ष,
   नि. भयावाड़ी (पांगरा) पुलिस चौकी खेडीसांवलीगढ,
   तह. जिला बैतूल
- 4. कमलतीबाई जौजे मारोती निरापुरे उम्र 50 वर्ष, जाति मेहरा नि. ग्राम जम्बाडा तह. मुलताई जिला बैतूल हाल–हवाई अड्डा के पास पाथाखेडा तह. घोडाडोंगरी जिला बैतूल

<u> प्रतिवादीगण</u>

## <u>!! आदेश !!</u>

## (आज दिनांक 08/05/2018 को पारित)

(1) इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपिटत धारा 151 व्यप्रसं का निराकरण किया जा रहा है।

- (2) प्रकरण में यह स्वीकृत है कि वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में भाई—बहन है उनके पिता स्व. उमराव थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा वादग्रस्त भूमि उनके पिता उमराव की थी।
- संक्षेप में वादपत्र अभिवचन इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई-बहन है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता स्व. उमराव थे जिनकी ग्राम बावई में भूमियां स्थित थी। उनके पिता की भूमियों का दिनांक 15-10-1993 में तहसीलदार के समक्ष वादी एवं प्रतिवादीगण तथा इनकी मां जसोदाबाई के मध्य आपसी सहमति के आधार पर भूमियों का विभाजन हुआ था जिसके आधार पर बहन इमरती व कमलती द्वारा कोई भूमि नहीं लेना व्यक्त किया था और उन्होंने अपना हिस्सा स्वेच्छया से त्याग दिया था। उक्त बंटवारे में वादी को खसरा नंबर 177/3 रकबा 0.506, खसरा नंबर 174 / 2 रकबा 0.203 एवं खसरा नंबर 176 रकबा 0.091 हे. भूमियां तथा प्रतिवादी क. 1 को खसरा नंबर 177/2 रकबा 0.506, खसरा नंबर 174/1 रकबा 0.202, खसरा नंबर 173/3 रकबा 0.091 हे. मोजा बावई की भूमियां बंटवारे में मिली थी। वादी तथा प्रतिवादी क. 1 को प्राप्त भूमियों में मां जसोदाबाई का नाम, मात्र उसके जीवनकाल तक के लिये रखा गया था। जसोदाबाई की मृत्यु दिनांक 11-08-2012 को हो चुकी है। वादी एवं प्रतिवादी क. 1 बंटवारे में मिली भूमियों में शांतिपूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे थे।

प्रतिवादी क. 1 द्वारा उसके हिस्से में आपसी सहमति से आई भूमियां खसरा नंबर 174/1 रकबा 0.202, 176/3 रकबा 0.091, खसरा नंबर 177/2 रकबा 0.101 हे. कुल रकबा 0.394 हे. भूमियां यादोराव वल्द बाबूराव निवासी दभेरी वाले को विक्रय कर दी है। वादी द्वारा जसोदाबाई की मृत्यू उपरांत राजस्व अभिलेख में उसके साथ खसरा नंबर 177/3, 174/2 एवं 176/1 से नाम काटे जाने बाबत एक आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार बैतूल के समक्ष पेश किया था। नायब तहसीलदार बैतूल द्वारा राजस्व प्रकरण कमाक 63-06 वर्ष 2012-13 पारित आदेश दिनांक 30-06-2014 अनुसार जसोदाबाई का नाम वादी के साथ जो राजस्व अभिलेख में दर्ज था, को निरस्त किया गया परंत् प्रतिवादीगण का नाम विधि विरूद्ध तरीके से जोड़े जाने के आदेश प्रदान कर दिये गये जिनकी अपील उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को की गई थी जो निरस्त कर दी गई है। प्रतिवादीगण द्वारा उनके हिस्से में प्राप्त भूमि विक्रय कर दी गई है। वादग्रस्त भूमि जो वादी के नाम पर दर्ज है, उसमें प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रतिवादीगण का नाम वादग्रस्त भूमि में निरस्त किये जाने एवं वादग्रस्त भूमि पर एक मात्र भूमि स्वामी वादी है, की घोषणा हेतु दावा पेश करते हुये इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है कि प्रतिवादीगण प्रकरण के निराकरण तक वादग्रस्त भूमि का विक्रय या अंतरण वगैरह न करे। आवेदन पत्र के समर्थन में वादी की ओर से स्वयं तथा चंद्रकला के शपथ पत्र पेश किये हैं जिन्होंने वादी के शपथ पत्र के अभिवचनों का

ही समर्थन किया है।

- (4) प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक—2 मध्यप्रदेश शासन औपचारिक पक्षकार है, उसके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया।
- (5) प्रतिवादी क. 4 द्वारा जवाबदावा पेश कर संपूर्ण वादपत्र के अभिवचनों को स्वीकार किया है।
- प्रतिवादी क. 1 द्वारा जवाबदावा पेश कर स्वीकृत तथ्यों **(6)** के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रतिकूल अभिवचनों को अस्वीकार किया गया है तथा अभिकथित किया गया है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद वादी नागोराव ने बंटवारा कराने की इच्छा जाहिर की थी तो पिता के नाम दर्ज भूमियों का बंटवारा कियागया था। बंटवारा की सारी कार्यवाही वादी ने ही की थी। मां जसोदाबाई का नाम, दोनों पुत्रियों का नाम भूमियों पर 1/2, 1/2 हक बंटवारे के समय से ही रहा है जिसका उल्लेख राजस्व अभिलेखों में रहा है। वादग्रस्त भूमि में बहनों का भी हिस्सा है। मां का नाम केवल जीवनकाल तक के लिये नहीं रखा गया था, उक्त भूमियों में उनकी मां का भी हिस्सा था। वादी ने मां जसोदाबाई की मृत्यू के पश्चात नाम काटे जाने का आवेदन पेश किया था जिसके साथ नाम काटा जाकर उनके विधिक वारसानों का नाम नायब तहसीलदार द्वारा दर्ज किया गया है जो विधि अनुकूल है जिसकी अपील वादी द्वारा की गई थी जो आधारहीन होने से निरस्त कर दी गई है और जसोदाबाई के वारसानों का नाम यथावत् रखा गया।

- (7) वादी वन विभाग में शासकीय सेवा में है तथा वह कई वर्षों से मां से पृथक रहता है। मां जसोदाबाई का स्वास्थ बहुत खराब हो गया था जिसके इलाज में रूपयों की आवश्यकता थी, वादी ने प्रतिवादी क. 1 की माता के इलाज हेतु आर्थिक मदद करने से इनकार कर दिया था, तब प्रतिवादी क. 1 तथा मां जसोदाबाई के इलाज के खर्च हेतु उसे जमीन बेचना पड़ा था। वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी क. 1 का भी हिस्सा है और वे 1/4, 1/4 अंश प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकार प्रतिवादी क. 1 द्वारा दावा एवं आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है तथा अभिकथित किया है कि वादी द्वारा इस आशय का एक आवेदन और पेश किया था जो दिनांक 11–10–2017 को निरस्त किया जा चुका है। आवेदक इन्ही आधारों पर आवेदन पेश नहीं कर सकता।
- (8) अस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्र के निराकरण के लिये तीन बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक होता है :--
  - 1- क्या वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण है ?
  - 2- क्या सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है ?
  - 3-क्या अपूर्णीय क्षति का बिंदु आवेदक के पक्ष में है ?
- (9) उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर विचार सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है ताकि साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो।
- (10) वादीगण द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि जो वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज थी, वह

उनके पिता उमराव की थी, उनकी मृत्यु के बाद आपसी सहमति के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा दिनांक 15–10–1993 को विभाजन हुआ था जिसमें बहनों ने स्वेच्छया से अपना हक त्याग दिया था तथा वादी को खसरा नंबर 177/3 रकबा 0.506, खसरा नंबर 174/2 रकबा 0.203 एवं खसरा नंबर 176 रकबा 0.091 हे. भूमियां तथा प्रतिवादी क. 1 को खसरा नंबर 177/2 रकबा 0.506, खसरा नंबर 174 / 1 रकबा 0.202, खसरा नंबर 173 / 3 रकबा 0.091 हे. भूमियां प्राप्त हुई थी। वादी एवं प्रतिवादी क. 1 की भूमियों पर मां का नाम, मात्र उनके जीवनकाल तक के लिये दर्ज किया गया था लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जब वादी ने उसके और उसकी मां जसोदाबाई के नाम दर्ज भूमि पर मां का नाम निरस्त करने का आवेदन दिया, तब राजस्व न्यायालय द्वारा मां का नाम तो निरस्त किया था लेकिन साथ ही प्रतिवादीगण का नाम भी विधिक वारसान के रूप में दर्ज किया गया जबकि इन भूमियों पर प्रतिवादीगण का कोई हक नहीं है। प्रतिवादी ने उसकी भूमियां जो मां के साथ उसके नाम दर्ज थी, उसको विक्रय कर दी है और अब वादग्रस्त भूमियां जो वादी के नाम पर है, उसमें भी हक हिस्सा चाह रहा है जबकि प्रतिवादी ने अभिकथित किया है कि वादी के नाम पर जो भूमियां थी, उसमें मां का भी हिस्सा था और उसकी मृत्यु के बाद सभी बहनों और प्रतिवादी क. 1 का विधिक वारसान के रूप में राजस्व न्यायालय द्वारा विधि अनुसार नाम दर्ज किया गया है। बहनों ने अपना कोई हक वगैरह नहीं त्यागा है उनका भी हिस्सा है।

- वादी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र के माध्यम (11)से इस आशय का स्थगन चाहा गया है कि प्रतिवादीगण वाद के लंबित रहने के दौरान उनके नाम पर दर्ज भूमियों का किसी भी प्रकार से विक्रय या अंतरण न करे। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमियों से सबंधित खसरा किश्तबंदी की प्रतियां पेश की गयी है जिनके अनुसार वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी इमरती और कमलती का भी नाम दर्ज हो चुका है। वादी द्वारा अभिकथित किया जा रहा है कि वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी इमरती और कमलती का कोई हिस्सा नही है उन्होनें अपना हिस्सा पूर्व में त्याग दिया था। वास्तव में प्रतिवादी इमरती एवं कमलती ने अपना हिस्सा त्यागा है या नहीं वादग्रस्त भूमि का कोई स्वत्व है या नहीं इन सब प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य लिये जाने के उपरांत मामले के गुण-दोषों पर ही किया जा सकता है न कि वर्तमान स्तर पर। चूंकि वादग्रस्त भूमियों पर प्रतिवादी इमरती एवं कमलती का नाम दर्ज है विचारण के दौरान उनके द्वारा वादग्रस्त भूमियों का विक्रय किया जाता है तो निश्चित ही वाद बाहुल्यता बढेगी और वादी को क्षति का सामना करना पड सकता है और वैसे भी प्रतिवादीगण द्वारा तर्क के दौरान यह अभिकथित किया गया है कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय वगैरह नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदु पाया जाता है।
- (12) अतः वादी की ओर से पेश आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्यप्रसं स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित

Page No. 8 ল্ফা.ল্ফ. ৭৭৫/২০৭৬

किया जाता है कि प्रतिवादीगण प्रकरण के निराकरण तक वादग्रस्त भूमि का किसी भी प्रकार से विक्रय, अंतरण या हस्तांतरण न करे। आदेश खुले न्यायालय में पारित कर मेरे निर्देश में टंकित हस्ताक्षरित किया गया । किया गया ।

(पंकान कुमान) (पंकान कुमान)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१ बैतूल बैतृल